न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 42/2024   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/283**
दायर दिनांक :– 11.03.2024   **निर्णय दिनांक :– 20.11.2024**

1. जीवणराम पुत्र प्रहलादराम जाति बिश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. अणदाराम पुत्र नरसींगाराम जाति बिश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. ईन्द्रा पत्नी अणदाराम जाति बिश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. कैलाशचन्द्र पुत्र जीवणराम जाति बिश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
4. सोमराज पुत्र जीवणराम जाति बिश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
5. हनुमानराम पुत्र जीवणराम जाति बिश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
6. जोराराम पुत्र जांवताराम जाति बिश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
7. सुगनी पत्नी जोराराम जाति बिश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
8. सोपारीदेवी पत्नी जेठाराम जाति बिश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
9. हीराराम पुत्र बगडूराम जाति बिश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
10. सोनाराम पुत्र बगडूराम जाति बिश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
11. आसुराम पुत्र गंगाराम जाति मेगवाल निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
12. लूणाराम पुत्र उरजाराम जाति मेगवाल निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
13. श्रवणराम पुत्र गंगाराम जाति मेगवाल निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
14. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों का खेत खसरा नम्बर 1430/1 रकबा 7.0982 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा लिखमासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि पर अपनी रहवासीय ढाणीं, पानी का टांका, पशुओं के बाड़ा इत्यादि बना रखे है। उक्त

20.11.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

रहवासीय ढाणी में प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। प्रार्थी ने अपनी उक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि की भूमि पैमाईश करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार साहब (भू.अ.) बाप ने क्रमांक 364 दिनांक 10.06.2022 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का कानासर को दिये, पटवारी हल्का द्वारा उक्त आदेश की पालना में मौके पर जाकर प्रार्थी तथा पड़ौसी खातेदारान एवं मोतबीरान की उपस्थिति में उक्त भूमि की खसरा नम्बर 1424 पत्थरगढी व खसरा नम्बर 1429 किस्म गैर मुमकिन को आधार मानकर की तथा मौका फर्द तैयार कर प्रार्थी एवं मौतबीरान को पढ कर सुनाया गया। उक्त पैमाईश फर्द नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थी जब पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों ओर खूंटे रोपने लगा तो उक्त भूमि के पड़ोसी खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 14 ने पैमाईश प्रार्थी की हद में खूंटे रोपने से मना कर दिया और उक्त पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में बरसात के मौसम में काश्त करता है तब उक्त भूमि के चारों और तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की गई काश्त को अवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है और प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये प्रार्थी ग्राम लिखमासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1430/1 रकबा 7.0982 हैक्टेयर भूमि की हुई भूमि पैमाईश अनुसार प्रार्थी अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहता है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 15 पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि गांव लिखमासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 1430/1 रकबा 7.0982 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि गांव लिखमासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 1430/1 रकबा 7.0982 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है।

इसिलए प्रार्थी पटवारी हल्का द्वारा की गई पैमाईश फर्द अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि गांव लिखमासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 1430/1 रकबा 7.0982 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गड्ढी मौका फर्द अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)